(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

संतोष देवी बनाम चन्दा देवी

किस्म मुकदमा :- 212 R.T. Act

नंबर 145 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-12-24	यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। तद्नुसार ग्राम रूपनगढ़ के ख.नं. 532 रकबा 0.0404 हैक्टर., ख.नं. 533 रकबा 0.8494 हैक्टर., ख.नं. 540 रकबा 0.1618 हैक्टर., ख.नं. 541 रकबा 0.6472 हैक्टर. भूमि में अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 13-2-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
13-2-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी जारी होकर पत्रावली दि० 27-2-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
27-2-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थी व	

मु.न. 145/24 सन्तोषदेवी / चन्दादेवी

वकील प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं। अत: अदम हाजरी/अदम पैरवी में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)